संख्या :-97-दो-(1)-छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2004

प्रेषक,

यू0सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा मे,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय विभाग : देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर, 2004

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यवर्तन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 192/यू0ए0सी0/पी0एफ0/2004, दिनांक 14.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित मद में संलग्न बी0एफ0 15 के विवरणानुसार रु0 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यवर्तन की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

शीर्षक/मान्क मद	धनराशि (हजार रुपये में)
105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश	
44- प्रशिक्षण व्यय	150
योग-03	150

(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

2- उपर्युक्त धनराशि का आहरण जिला न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा किया जायेगा ।

3- उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का पालन किया जाय ।

4- यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

5- व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर -105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश-00-44- प्रशिक्षण व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-2160/दि0अनु0-3/2004 दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोपरि ।

(यू0सी0 ध्यानी)
सचिव ।

संख्या -97-दो-(1) (1)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2004, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3- वित्त अनुभाग-3/एन0आई0 सी0।
4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आर0 डी0 पालीवाल)
अपर सचिव ।

बी. एम.–15

पुनर्विनियोग 2004–2005 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम– महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

प्रशासनिक विभाग का नाम– न्याय विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

(धनराशि हजार रूपयों में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है ।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बादस्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश–00 01–वेतन	85000	50000	25000	10000	2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –105– सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश–00 44–प्रशिक्षण व्यय	150	151	84850	–
	85000	50000	25000	10000		150	151	84850	–

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आर0डी0 पालीवाल)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
वित्त विभाग
संख्या–2160–क/वित्त अनुभाग–3/2004
देहरादून : दिनांक 22, दिसम्बर, 2004

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या– – दो–(2)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0 ।
4– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आर0डी0 पालीवाल)
अपर सचिव ।